[श्री रघुनाथ सिंह]

थे। मोहेमडन ला और बाइबल दोनों ही इस बात को सपोर्ट करते हैं और बतलाते हैं कि इस प्रकार की प्रथा थी। हिन्दु ला में भी इस प्रकार की प्रथा थी कि स्त्री पुरुष दोनों को सजा दी जाये।

16 hrs.

जहां तक इस बिल के सिद्धान्तों का ताल्लुक है, जैसा मैंने कहा है यह बम्बई हाई कोर्ट के फैसले पर आधारित है। एक मैम्बर फर्स्ट पालियामेंट के सदस्य थे और उन्होंने बम्बई हाई कोर्ट के फैसले के बाद ही इस बिल को यहां पेश किया था। अब चूंकि वह सदस्य नहीं रहे इसलिये उन्होंने एक पत्र मुझे लिखा है और कहा है कि मैं इसको फिर से यहां पेश करूं। लिहाजा मैंने इसको यहां उपस्थित किया है।

जहां तक इस बिल का ताल्लुक है मैं फिर कहूंगा कि दोनों को सजा होनी चाहिये। मेरा बिल लाने का एक मुख्य उद्देश्य यह था कि आज भारतवर्ष में जब कि सती की प्रथा कम होती जा रही है और स्त्रियों में जो इम्मारेलिटी आती जा रही है, उसको रोका जाये, उस पर बन्धन लगाया जाये। हमारे जितने भी बहन भाइयों ने इस डिसकशन में भाग लिया है, मैं उन सब को धन्यवाद देता हूं और जैसा कि मिनिस्टर साहब ने कहा है मैं इस बिल को वापस लेता हूं। इसके साथ ही साथ मैं अपनी बहनों से प्रार्थना करता हूं कि वे भी जहां तक मारेलिटी को ऊंचा करने का ताल्लुक है, उनको एक आन्दोलन आरम्भ करना चाहिये क्योंकि आजकल व्यभिचार बहुत बढ़ रहा है। इसका कहीं न कहीं पर तो अन्त होना ही चाहिये।

यहां पर जो हमारे पुरुष दोस्त बैठे हुए हैं उनमें यह हिम्मत नहीं हुई है कि वे अपनी धर्मपत्नियों के खिलाफ बोल सकें। बहुत से लोगों ने सोचा है कि . . . . .

Shri Khadilkar (Ahmednagar): May I point out, Sir, that this is a generalisation without any facts? Has the hon. Member got any social study to make a statement like this that adultery and immorality is growing all over in India? I strongly object to a generalised statement like this.

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य को पहले बोलने का ज्यादा वक्त नहीं मिला और अगर मिल जाता तो शायद यह बात भी सामने आ जाती।

श्री रघुनाथ सिंह : आप यह बात मानें कि सिनेमा के कारण और थियेटर के कारण जो बुरा प्रभाव लोगों पर पड़ रहा है उसका यह नतीजा हो रहा है . . . . .

उपाध्यक्ष महोदय : उस झगड़े को आप जाने दें और बतायें कि क्या आप इस बिल को वापस लेते हैं ?

श्री रघुनाथ सिंह : मैं इस बिल को विदड्रा करता हूं।

Mr. Deputy-Speaker: Has the hon. Member leave of the House to withdraw his Bill?

The Bill was, by leave, withdrawn.

CODE OF CRIMINAL PROCEDURE (AMENDMENT) BILL

(*Omission of section* 144)

Mr. Deputy-Speaker: The House will now take up the Code of Criminal Procedure (Amendment) Bill—omission of section 144.

Shri Braj Raj Singh: Up to what time are we going to sit today?

Mr. Deputy-Speaker: It was decided by the House that it would sit up to 5.15 or 5.20.

Shri Datar: May I know how much time is allotted for this Bill?

Mr. Deputy-Speaker: Two hours.

श्री जगदीश अवस्थी (बिल्हौर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि दण्ड प्रक्रिया संहिता, १८९८ में आगे संशोधन करने वाले बिल पर विचार किया जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय, आज मुझे यह गौरव प्राप्त हुआ है कि मै इस सम्मानित सदन के समक्ष अपने इस विधेयक को प्रस्तुत करूं । इस दफा १४४ को हटाने के बारे में जो बिल मैंने पेश किया है उसकी ओर आज सारे देश का ध्यान है और इस बिल को पेश करने का मेरी मंशा यह है कि भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा १४४ को सदा सर्वदा के लिये इस कानूनी पुस्तक से निकाल दिया जाये, इसका इस पुस्तक में से लोप हो जाये ।

इसके पहले कि मैं इस धारा के कानूनी पहलू पर अपने विचार प्रकट करूं, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि दुनिया में जितने भी कानून बनते है, जितने भी विधान बनते हैं, उन सबका एक मुख्य उद्देश्य समाज में शान्ति और व्यवस्था कायम रखने और समाज के जो ऐसे तत्व हैं जिन से शान्ति भंग होने का अन्देशा होता है, उनको काबू में रखने के लिये बनते हैं । इन सबका उद्देश्य यह होता है कि ऐसे तत्वों को कानून के अन्तर्गत ला कर उनको सजा दिलाई जाये । जितने भी कानून बनते हैं वे इन बुरी प्रवृत्तियों को रोकने के लिये बनते हैं न कि भले आदमियों के खिलाफ उनका उपयोग करने की मंशा होती है । लेकिन आज जो सी० आर० पी० सी० की धारा १४४ है, इसके अगर हम अमली जामे को देखें तो हमें पता चलेगा कि न केवल आज से बल्कि तब से जब से कि देश परतंत्र था इस धारा का विरोध होता आ रहा है । इसके अन्तर्गत जिलाधीशों को, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स को तथा एस० डी० ओस० को आपने यह अधिकार दे रखा है कि वे लिखने पर, बैठने पर, उठने पर, सभायें करने पर, चलने पर, फिरने पर प्रतिबन्ध लगा सकते हैं । मेरी दृष्टि में यह ऐसा कानून है जिसका प्रयोग उन व्यक्तियों के विरुद्ध होता रहा है जो कि समाज के हमेशा निर्माता रहे हैं ।

आज इस सम्मानित सदन में हमारे बहुत से मित्र बैठे हुये हैं जो तब से जब से देश परतंत्र था, इस किस्म के प्रतिबन्धों को तोड़ते रहे हैं और हमारा जो शासक दल है, वह अंग्रेजों को बुरा भला कहता रहा है । इस विरोध में जनता हमेशा उनके साथ रही, उसने उनका सम्मान किया, उनकी इज्जत की । हर देश में जो कानून बनते हैं वे खराब आदमियों के लिये बनते हैं, बदमाशों और गुंडों के लिये बनते हैं, चोरों और डाकुओं के लिये बनते हैं और इससे किसी का विरोध भी नहीं हो सकता है । लेकिन यह जो दफा १४४ है इसका अगर आप विश्लेषण करें तो आप इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि इसके अधीन सदैव भले आदमियों को पकड़ा जाता है तथा उन लोगों को सजायें दी जाती हैं और दी जाती रही हैं । जब हम परतंत्र थे तब तो इस धारा का कुछ औचित्य हो सकता था । उस समय दूसरे बाहर वाले हम पर हुकूमत करते थे । उस समय उन्होंने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स को यह अधिकार दे रखा था कि वे मनमाने ढंग से इसका उपयोग कर सकते हैं । लेकिन आज जब हम आजाद हैं, जब हमारा अपना राज है हमारे देश में हमारी अपनी सरकार है, हम समाज वादी समाज की रचना करना चाहते हैं, हम फ्रीडम आफ स्पीच में विश्वास करते हैं, हम लोगों पर किसी किस्म की रोक नहीं लगाना चाहते, तो उस धारा की क्या आवश्यकता है । आज हमें आजाद हुए दस वर्ष का लम्बा समय हो चुका है लेकिन यह धारा आज भी ज्यों की त्यों बनी हुई है और इसको कानूनी पुस्तक में वही स्थान मिला हुआ है जो पहले मिला हुआ था । यदि यह धारा केवल किताब तक ही सीमित रहती और इसका कोई प्रयोग न किया जाता, तब भी कोई बात नहीं थी और सम्भव है कि मैं इस सदन

[श्री जगदीश अवस्थी]

के सम्मुख इसको हटाने का अनुरोध करने के लिये न आता । लेकिन आज मैं देखता हूं और सारा देश इस बात को देख रहा है और जितने भी माननीय सदस्य यहां बैठे हुए हैं, वे देख रहे हैं कि बहुत ही व्यापक रूप से इसका प्रयोग किया गया है और किया जा रहा है ।

अगर आप कानूनी दृष्टि से इसको देखें तो आपको पता चलेगा कि यह धारा बहुत ही छोटी है और इसके अन्तर्गत जो दंड दिया जाता है वह बहुत थोड़ा होता है । लेकिन जहां तक इसके प्रयोग का ताल्लुक है पिछले दस वर्षों में शायद ही कोई ऐसा दिन बचा हो जिस दिन कि किसी न किसी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने कहीं न कहीं इस धारा के अन्तर्गत दफा १४४ न लगाई हो । इनके अन्तर्गत जलूस निकालने पर, शान्तिप्रिय जलसा करने पर, डैमंस्ट्रेशन करने पर, उठने बैठने पर तथा विभिन्न प्रकार की कार्यवाइयों पर प्रतिबन्ध लगाये जाते रहे हैं । अगर सी० आर० पी० सी० की किसी धारा का सब से अधिक प्रयोग किया गया है तो वह यही धारा है । मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि इस धारा से हमारे देश के अन्दर अच्छा वातावरण तैयार नहीं हो रहा है और इसका बहुत ज्यादा कुप्रभाव पड़ रहा है । इसका सर्वत्र विरोध भी होता है । देखने को यह एक छोटी सी धारा है लेकिन मैं कहूंगा कि इसका प्रयोग फौजी कानून की तरह होता है और यदि मैं यह कहूं कि मार्शल ला की तरह से होता है तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी ।

यह धारा रावण के समान है और इसके अनेकों मुख हैं जिनके कि द्वारा आज तक कितने ही व्यक्तियों की नागरिक स्वतन्त्रता का हनन हुआ है, कितने ही लोग बलिदान हो गये और कितने ही घर इस धारा के कारण बर्बाद हो गये और कितने ही शान्तिप्रिय नागरिक सदा के लिये हमसे विदा हो गये । मुझे आज वह दिन याद आता है जब हमारे देश में जलियांवाला कांड हुआ और जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने इस धारा का आश्रय ले कर हजारों निहत्थे नौजवानों को अपने दमन का शिकार बनाया और जिसके कि परिणामस्वरूप हजारों व्यक्तियों की जान चली गई । पंजाब के शेर लाला लाजपतराय ने इसका विरोध किया और हमेशा इस धारा का विरोध होता आया है । आज जब देश स्वतंत्र हो गया है तो हम यह आशा करते थे कि जिन शहीदों के बलिदानों पर यह देश आजाद हुआ, हम यह उम्मीद लगाये बैठे थे कि आजाद होने पर हम इस धारा को तोड़ेंगे और इस धारा को निकाल कर हम फैंक देंगे लेकिन आज हमें ऐसा मालूम होता है कि मानों उन शहीदों का बलिदान व्यर्थ गया । आज इस विधेयक को मैं एक गैर-सरकारी प्रस्ताव के रूप में सदन में पेश कर रहा हूं जब कि होना यह चाहिये था कि वह शासन जिसने जनतन्त्र की कसम खाई थी और देश में समाजवादी समाज की रचना की कसम खाई थी, उसको इस धारा को फौरन अपने कानून की किताब से हटा देना चाहिये था लेकिन उसने उसको नहीं हटाया है ।

इस धारा पर अगर आप कानूनी दृष्टि से विचार कर के देखें तो आपको स्पष्ट नजर आयेगा कि इस धारा के अन्तर्गत जिलाधीशों को बड़े व्यापक अधिकार इस सरकार ने दे रक्खे हैं कि जब भी वे उचित समझें और अगर दो कम्युनिटीज में, दो वर्गों में या किन्हीं दो व्यक्तियों में कोई झगड़ा होने या शांति भंग होने की आशंका हो तब इस धारा के अन्तर्गत वे उन पर रोक लगा सकते हैं और उनको धारा १४४ के अन्दर बांध सकते हैं । आज हमारा देश हांलांकि स्वतन्त्र हो गया है लेकिन हम यह देखते हैं कि हमारे शासक दल ने नौकरशाही को बड़ा शक्तिशाली बना दिया है और एक जिले में जिलाधीश को सब से अधिक शक्तिशाली केन्द्र बना दिया है । राज्य सरकारों ने जिलाधीशों को बहुत अधिक अधिकार और शक्ति दे रक्खी है और

वे जिलों में बैठ कर उनका मनमाने ढंग से प्रयोग करते हैं । इस कानून के अन्तर्गत जो हमने अधिकार दे रक्खे हैं उनका बड़ा ही भीषण दुरुपयोग हो रहा है । मैं एक नहीं वरन् सैकड़ों दृष्टान्त इस किस्म के दे सकता हूं जिनमें हालांकि जनता में शान्ति और व्यवस्था कायम थी और किसी किस्म की गड़बड़ी की आशंका नहीं थी लेकिन इस धारा के अन्तर्गत उन्होंने आदेश निकाल दिये और कभी २ तो उनको पढ़ कर हंसी आती है । मैं यह कहे बगैर नहीं रह सकता कि आज के प्रजातन्त्री युग में इस देश की जो नौकरशाही है वह उसके अनुकूल अपने को अभी तक ढाल नहीं सकी है और आज भी मनमाने ढंग से आचरण करती है । इस धारा के अन्तर्गत हमने जिलाधीशों को जो अधिकार दे रक्खा है उसका वह उसी प्रकार दुरुपयोग कर रहे हैं जैसे कि एक बन्दर को अगर आभूषण दे दिया जाये तो वह उसका सदुपयोग न कर के दुरुपयोग ही करेगा ।

अगर आप संविधान की दृष्टि से देखें तो भारतीय संविधान की धारा १९ के अन्तर्गत हमने यह घोषणा कर रक्खी है कि हर एक व्यक्ति को इस देश में लिखने, पढ़ने चलने फिरने और बोलने की स्वतंत्रता है लेकिन उसके बाद ही अर्थात् सन् १९५० में यह संविधान लागू हुआ और सन् १९५१ में और फिर उसके बाद सन् १९५४ में इसमें संशोधन किये गये और कुछ ऐसी चीजें इसमें जोड़ दी गई जिनसे कि साफ मालूम होता है कि हमने धारा १४४ को कायम रखने के लिये इस भारतीय संविधान में जो कि बहुत ही सुन्दर संविधान था उसको संशोधन करके कुछ कुरूप सा बना दिया है और उसका संशोधन कर के हमने यह चीज साबित नहीं की कि विधि से विधान हमेशा ऊंचा हुआ करता है । हमने इस डर से कि कहीं हाईकोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट आदि इसको चैलेंज न करें हमने अपने संविधान में पहले से ही बंदिश कर दी और उसमें एक संशोधन कर दिया । मैं कोई वकील नहीं हूं लेकिन हमारे संविधान की धारा १९ की जो मूल भावना है उसका जो मूल तत्व है और जो उसकी आत्मा है वह स्पष्ट रूप से कहती है कि यह धारा १४४ जो हमारी कानूनी पुस्तक में है वह बिलकुल गैर मुनासिब है और इसको तुरन्त हटा देना चाहिये ।

मैं समझता हूं कि इससे हर कोई परिचित होगा कि इस धारा के अन्तर्गत जिलाधीशों द्वारा जो आदेश निकाले जाते हैं वे किस प्रकार से धारा १९ की आत्मा का हनन करते हैं और जब कुछ लोग एग्जीक्युटिव द्वारा निकाले गये आदेशों के विरुद्ध उच्च न्यायालयों और सेशन कोर्ट्स में अपील ले कर जाते हैं और कोर्टस ने उनके सम्बन्ध में जो अपने जजमेंट्स दिये हैं उनको अगर आप देखें तो आप पायेंगे कि उनमें कई स्थानों पर बहुत बुरी तरह से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेटों के आदेशों की आलोचना की गई है ।

बम्बई उच्च न्यायालय के सन् १९३१ के जजमेंट, इलाहाबाद हाईकोर्ट के सन् १९३९ के जजमेंट और मद्रास हाईकोर्ट के १९५४ के जजमेंट को यदि आप पढ़ें तो आपको मालूम हो जायेगा कि मैं ठीक कह रहा हूं कि नहीं । मैं यह कोई अपनी ओर से बात नहीं कहता हूं बल्कि जो हमारे संविधान और कानून के रक्षक हैं, उन न्यायाधीशों की बात को तो हम गलत नहीं कह सकते, उन्होंने इस सम्बन्ध में समय-समय पर क्या लिखा है उस को आप पढ़िये । मैं पूछना चाहता हूं कि क्या शासक दल उन रूलिंग्स् और जजमेंट्स को देखता नहीं है ? मुझे दुःख के साथ यहां पर यह चीज कहनी पड़ती है कि हाईकोर्ट्स आदि द्वारा जो इस सम्बन्ध में आदेश निकलते हैं उन पर एग्जीक्यूटिव कभी ध्यान नहीं देती है ।

मैं एक बात की तरफ और सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि इस कानून के बनने के बाद सन् १९५४ में क्रिमिनल एमेंडमेंट ला ऐक्ट में संशोधन किया गया और

[श्री जगदीश अवस्थी]

उसके द्वारा पहले जो प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट और सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को इस धारा के अन्तर्गत आदेश निकालने का अधिकार प्राप्त नहीं था, यह संशोधन कर के हम ने सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को भी इसका अधिकार प्रदान कर दिया और वे भी अगर उचित समझें तो इस धारा के अन्तर्गत आदेश दे सकते हैं और लोगों की स्वतन्त्रता पर उनके उठने, बैठने और चलने फिरने पर प्रतिबन्ध लगा सकते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यही प्रजातन्त्री तरीका है और क्या इसी तरह हमारे देश के अन्दर समाजवादी समाज की रचना की जायेगी। आज शासक दल द्वारा जो नौकरशाही को और उसके पेट्टी आफिशल्स के हाथों को दृढ़ करने के लिये इस तरह की कानूनी बंदिश की जा रही है और एग्जीक्यूटिव के छोटे छोटे आफिसर्स को जो इस तरह के अधिकार दिये जा रहे हैं उन से मालूम होता है कि आज शासक दल किस ओर चलता जा रहा है....

Shri Sonavane (Sholapur-Reserved-Sch. Castes): There is no quorum.

Mr. Deputy-Speaker: The bell is being rung....Now there is quorum. Shri Jagdish Awasthi may continue his speech.

श्री जगदीश अवस्थी : मैं निवेदन कर रहा था कि इस प्रकार के छोटे छोटे संशोधन कर के, क्रिमिनल ला के द्वारा छोटे-छोटे अधिकारियों को भी प्रतिबन्ध लगाने के आदेश इस धारा के अन्तर्गत दे दिये गये हैं। सब से बड़ी बात तो इस धारा के अन्तर्गत निश्चित रूप से यह लिखी हुई है कि कोई डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, कोई सब डिवीजनल मैजिस्ट्रेट दो महीने से अधिक के लिये प्रतिबन्ध नहीं लगा सकता है। लेकिन व्यवहार में क्या हो रहा है? जहां जहां दफा १४४ लगाई गई है, अगर आप उस का विश्लेषण कर के देखें तो पायेंगे कि जो दस वर्ष हम को स्वतन्त्रता प्राप्त किये हुए हैं उन में से ६ वर्ष धारा १४४ लगी रही है। साथ ही मैं यह कहना चाहूंगा कि सारे भारतवर्ष में अगर कहीं इस धारा का सब से ज्यादा दुरुपयोग और व्यापक प्रयोग हुआ है तो वह उत्तर प्रदेश में हुआ है, और उत्तर प्रदेश में भी अगर कहीं इस धारा का सब से ज्यादा प्रयोग किया गया है तो वह कानपुर नगर में किया गया है। मैं तो यहां तक कहना चाहता हूं कि कानपुर नगर में दफा १४४ ने अपना एक घर सा बना रक्खा है। अगर आप ध्यान से देखें तो जिस समय मैं आप के समक्ष सदन में अपने विचार व्यक्त कर रहा हूं, सदन के बाहर कानपुर नगर में दफा १४४ लगी हुई है। आज भी वहां यह धारा लगी हुई है। आप इस बात को देखिये कि पहले तो दो महीनों के लिये आदेश होता है और दो महीने खत्म नहीं होने पाते हैं, जिस दिन वह खत्म होती है ठीक इस के दस या बरह घंटे के बाद फिर दफा १४४ लगा दी जाती है। इस सम्बन्ध में, अपने कथन की पुष्टि में मैं कुछ चीजें पेश करूंगा जिस से यह स्पष्ट हो जायेगा कि आज जिलाधीश लोग किस तरह से इसका दुरुपयोग करते हैं।

सारे सदन को मालूम होगा कि सोशलिस्ट पार्टी ने, जिस का मैं भी एक अदना सेवक हूं, जो विदेशी मूर्तियां थीं उन को हटाने के लिये १० मई, १९५७ से सारे उत्तर प्रदेश में एक सत्याग्रह किया। वह जायज या नाजायज दोनों कहा जा सकता है, इस बारे में मतभेद हो सकता है, लेकिन इस के समय में इस धारा का किस प्रकार से दुरुपयोग किया गया, इस को अगर आप देखें तो सदन की आंखें खुल जायेंगी। आज आप देखिये कि वहां के तत्कालीन जिलाधीश और दूसरे लोगों ने कानपुर में उस समय इस धारा का कैसा दुरुपयोग किया। मैं अपना उदाहरण पेश करना चाहता हूं। मुझ को ३० मई, १९५७ को दफा १४४ के अन्तर्गत सजा हुई। दफा १८८ में तीन महीने की सजा और ५००

रुपये जुर्माना और इसी प्रकार से कोई ३०० व्यक्तियों से अधिक को उस में बन्द किया गया। हम लोगों ने सेशन्स कोर्ट में अपीलें कीं। आप उस अपील के निर्णय को देखिये। १० जुलाई को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने दफा १४४ के अन्तर्गत जो आदेश दिये गये थे उनको अवैध घोषित किया। जज ने लिखा :

"भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा १४४(३) के अन्तर्गत कानपुर के जिलाधीश द्वारा ६ मई, १६५७ को दिया गया आदेश अनियमित था क्योंकि उक्त धारा के अन्तर्गत साधारण जनता को किसी स्थान विशेष पर जाने से रोका जा सकता है और चूंकि संपूर्ण कानपुर जिला एक स्थान विशेष नहीं है, एतदर्थ जिलाधीश द्वारा जारी की गई आज्ञा अनियमित एवं अवैध थी।"

जब जज ने यह घोषणा की और उस के बाद हम लोग छूटने वाले थे तो उस के ठीक १२ घंटे बाद जिलाधीश महोदय ने--१० जुलाई को निर्णय हुआ सेशन कोर्ट का, ठीक उस के कुछ घंटों बाद जिलाधीश ने एक विज्ञप्ति में आदेश दिया कि १० जुलाई से एक महीने के लिये धारा १४४ लगाना आवश्यक हो गया है। यह आज्ञा उसी क्षेत्र में लागू होगी जहां सत्याग्रह चल रहा है। विज्ञप्ति में कहा गया कि बिना आज्ञा भाषण करना, सभा करना, ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग करना वर्जित है। ठीक दूसरे ही दिन जो दूसरी अपीलें की गई थीं उन पर निर्णय देते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने दफा १४४ की जो कानूनी खामियां थीं उन के बारे में कहा :

"सोशलिस्ट पार्टी के पर्चों में दी गई मांगें सर्वथा दोष रहित हैं। प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली में सरकार की आलोचना करने का हर एक व्यक्ति को अधिकार है, वे (सोशलिस्ट सत्याग्रही) अपने राजनीतिक दल के प्रजातांत्रिक आन्दोलन में भाग ले रहे थे। केवल उन की भाषा पर आपत्ति की जा सकती थी जो निःसंदेह उचित नहीं थी। इसलिये मेरी राय में इन नारों से शांति भंग होने की कोई सम्भावना नहीं थी, अधिक से अधिक जनता के एक भाग को यह नारे बुरे लग सकते थे।"

यह है अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, कानपुर का निर्णय जो उस ने इस सम्बन्ध में दिया। इस से स्पष्ट हो जायेगा, जैसा मैं ने आप से निवेदन किया, कि एक तरफ तो सेशन्स कोर्ट्स ऐसे निर्णय दे रहे हैं, हमारे जनतंत्र की रक्षा की बात करते हैं, और दूसरी तरफ कानपुर के जिलाधीश वहां बैठ कर उस का अपमान करते हैं।

16.25 hrs.

[PANDIT THAKUR DAS BHARGAVA *in the Chair*]

दूसरी बात मैं और कहना चाहूंगा कि इस धारा का किस तरह वहां पर प्रयोग हो रहा है। सन् १६५३ से ले कर १६५७ तक कानपुर नगर में कितने राजनीतिक विरोधी व्यक्ति थे, शायद ही कोई व्यक्ति छोड़ा गया हो जिस को गैर कानूनी ढंग से घर से निकाल कर बुरी तरह से तंग न किया गया हो। चाहे उस ने कोई अपराध किया हो या नहीं, सब को जेलों में ठूंसा जाता रहा। कानपुर में ८७ दिन की एक ऐतिहासिक हड़ताल हुई। ऐसा मालूम पड़ता था कि मानों दफा १४४ का प्रयोग मार्शल ला की तरह हो रहा हो। वहां के तत्कालीन जिलाधीश महोदय ने और उस समय जो वहां के सुपरिटेंडेंट पुलिस थे, उन्होंने एक आदेश दे रक्खा था कि कुछ व्यक्तियों को पकड़ कर पहले उन की मारपीट की जाये, जेल भेजा जाये और उस के बाद में मुकदमे चलाये जायें। इस आज्ञा के जो लोग शिकार हुए उन में से एक हमारे मित्र श्री बनर्जी यहां बैठे हुए हैं जो कि वहां से चुन कर आये हैं।

[श्री जगदीश अवस्थी]

उनको बन्द किया गया और मुझ जैसे व्यक्ति का जिसको जनता ने चुन कर के भेजा एक वर्ष आठ महीने पूर्व अपमान किया गया। एक प्रदर्शन जब हो रहा था, हालांकि धारा १४४ लगी हुई थी, लेकिन उसके लिये परमिशन दे रक्खी थी, उस समय एक डेपुटेशन के रूप में जब मैं तत्कालीन जिलाधीश से मिलने गया, तो वे नहीं मिले। वहां जो डिपुटी सुपरिन्टेंडेंट पुलिस थे उन्होंने मेरे साथी के लिये अपशब्दों का व्यवहार किया। मैंने केवल एक बात कह दी थी :

"We are politicals. Behave like a gentleman. Do not abuse anybody."

केवल एक वाक्य कह देने से ही उनको बुरा लग गया। उसका बदला लेने की भावना से मुझे घर से पकड़ कर बन्द किया गया और आदेश दिये गये मुझ को बता दिया जाय कि पुलिस कितनी जेन्ट्लमैन होती है। वह एक सर्कास्टिक रिमार्क था। खैर, कुछ नहीं हुआ। सब से बड़ी बात जो हुई वह यह कि चुनाव लड़ कर निर्वाचित हो करयहां आ गया। मैं सदन में ३ अगस्त को जब बोल रहा था तो ठीक उसके दूसरे दिन, हालांकि आठ नौ महीने तक इस बारे में मेरे ऊपर मुकदमा नहीं चला था, लेकिन भाषण के दूसरे दिन आठ या नौ महीने पहले के काम के लिये मुकदमा चलाया गया और सदन को मालूम है, दफा १४४ का अगर कोई सब से ज्यादा शिकार हुआ है तो मैं हुआ हूं जिसके बारे में अध्यक्ष महोदय ने यहां दो बार घोषणा की है, आज उनके खिलाफ अपीलें चल रही हैं। मैं कहना चाहता हूं कि कानपुर नगर में दफा १४४ का जितना दुरुपयोग हुआ है उतना सारे भारत में कहीं नहीं हो रहा है और सब से दुःख की बात तो तब होती है जब राजनीतिक लोगों से बदला लेने के लिये इसका प्रयोग किया जाता है, जब कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के साथ दुर्व्यवहार किया जाय। मेरे एक मित्र थे जो कि असेम्बली का चुनाव लड़ रहे थे इत्तफाक से हार गये। जिस दिन चुनाव की घोषणा हो रही थी, उसी दिन लाल इमली मिल में एक आत्म-हत्या कांड हो गया। उसके सम्बन्ध में हमारे श्री बैनर्जी जो कि कानपुर से यहां एम० पी० हैं, उनको पकड़ा गया और उन जैसे व्यक्ति के साथ जो कि जनता का प्रतिनिधि है, दुर्व्यवहार किया गया। क्या क्या जुल्म वहां होते हैं इसे कहते हुए दुःख होता है। लेकिन उन्हीं जिलाधीश महोदय को जिन के खिलाफ बराबर प्रचार होता रहा, उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री ने अपने यहां सर्वोच्च स्थान दे रक्खा है। जो सुपरिन्टेंडेंट पुलिस थे उनको डी० आई० जी० बना रक्खा है। जो वहां के शहर कोतवाल हैं, जिन के हाथ में बागडोर है, उनकी पीठ ठोंकी जा रही है। इस प्रकार से इस धारा का प्रयोग कानून की आड़ ले कर बुरे तरीके से राजनीतिक प्रतिद्वन्दियों के साथ किया जाता है। मैं कहना चाहता हूं कि ब्रिटिश राज्य के समय में, जब कि अंग्रेज यहां थे, हम ने चौगुनी ताकत से इसका विरोध किया। मैं समझने में असमर्थ हूं कि यह शासन सत्ता क्यों उन से सबक नहीं लेती है।

आप इस धारा का प्रयोग करके केवल अपने शान्तिपूर्ण विरोधियों को बन्द करना चाहते हैं। यदि सचमुच आपका कानून न्यायपूर्वक प्रयोग किया जाता तो कानून के विरुद्ध जाने वाले को जनता हरगिज चुनकर न भेजती। मैं इस बात का यह सबूत देता हूं कि कानूनन जिसको आप बुरा कहते हैं उस व्यक्ति को जनता प्यार करती है। इस प्रकार से इस दफा १४४ का कानपुर नगर में दुरुपयोग हो रहा है।

इतना ही नहीं। अगर इतना ही होता तो कोई बात नहीं थी। उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस बात की घोषणा की हुई है कि एग्जीक्यूटिव और जूडीशियरी अलग अलग हैं। जिलाधीश आदेश देता है और

पुलिस गिरफ्तार करती है और उस व्यक्ति को जूडीशियल मजिस्ट्रेट के सामने पेश करती है । मैं कहना चाहूंगा कि ये जूडीशियल मजिस्ट्रेट कहने के लिए एग्जीक्यूटिव से अलग हैं । सरकार ने यह नियम बना दिया है कि जो जुडीशियल मजिस्ट्रेट नियुक्त किये गये हैं उनके बारे में सालाना रिपोर्ट जिलाधीश देगा । इस तरह जो लोग जिलाधीश के अंडर में रहते हैं उन पर जिलाधीश का और पुलिस का काफी प्रभाव रहता है । नतीजा यह है कि कानपुर में तो पुलिस जो चाहती है वह होता है कोई कितनी ही सफाई दे उसे सजा कर दी जाती है । मैं निवेदन करूं कि जिस समय मेरे ऊपर मुकदमा चल रहा था तो मैंने प्रासीक्यूटिंग इंस्पेक्टर से कहा कि इसमें क्या होने वाला है । तो उसने कहा कि इसमें और क्या होगा आपको सौ रुपया जुरमाना हो जायेगा और मुझे यह देख कर ताज्जुब हुआ कि मुझे सौ रुपया जुरमाना ही हुआ । इस प्रकार से आज वहां पर मनमानी हो रही है । आज इस कारण कानपुर नगर का राजनीतिक वातावरण विक्षुब्ध हो रहा है । मैं चाहूंगा कि आप इस बात को ध्यान से देखें । अब बहुत समय हो चुका है । इस प्रकार की बात अब बहुत समय तक बरदाश्त नहीं की जा सकती हम जनतन्त्र का नाम लेते हैं और बहुत ज्यादा ऊंची बात करते हैं । लेकिन अगर वास्तव में देखें तो हम उन बातों से बहुत दूर चले जा रहे हैं ।

मैंने इस विधेयक को पेश करके इस बात को दिखाने की चेष्टा की है कि संविधान की दृष्टि से, कानून की दृष्टि से, और व्यावहारिकता की दृष्टि से आज जो इस दफा १४४ के अन्तर्गत आदेश दिये जाते हैं वे कितने गलत हैं । अन्तर्गत आदेश दिये जाते हैं वे कितने गलत हैं । इस दफा का खुल कर दुरुपयोग किया जा रहा है । मैं इस पर ज्यादा नहीं कहूंगा क्योंकि और भी माननीय सदस्य इस पर अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं । यह दफा इतनी काम में लायी जा रही है कि यह अलोकप्रिय हो गयी है । देश में दो ही दफायें हैं जिनको जनता को आम रूप से ज्ञान है । एक तो दफा ४२० और दूसरी दफा १४४। आज गांवों तक में लोग इन दफाओं का हवाला देकर मजाक करते हैं । लेकिन सरकार ने इस धारा का गलत उपयोग होते देखकर भी इससे कोई सबक नहीं लिया है । मैं कहना चाहूंगा कि महात्मा गांधी कहा करते थे कि चाहे स्वदेशी सरकार हो या विदेशी सरकार हो अगर उसका कोई अन्याय पूर्ण कानून है तो उसका डटकर विरोध करना चाहिए चाहे उसमें कितने ही आदमियों को कुरबानी क्यों न देनी पड़े । आज सरकार ने इस कानून के अन्तर्गत जिलाधीशों को इतना अधिकार दिया हुआ है और जिस प्रकार इसका व्यापक दुरुपयोग हो रहा है उसको देखते हुए इसे एक प्रकार का जालिमाना कानून और जुल्म से भरा हुआ कानून कहा जा सकता है । एक तरफ सरकार का जुल्म चलता है और दूसरी तरफ मुझ जैसे लोगों की जबान चलती है । और मैं कहना चाहता हूं इस सदन के सम्मुख कि जब तक यह धारा १४४ भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता से हटा नहीं दी जायेगी तब तक हम और इस सदन में बैठे और भी बहुत से माननीय सदस्य इसका विरोध करते रहेंगे । महात्मा गांधी कहते थे कि जुल्म के आगे झुको मत चाहे सिर ही क्यों न कट जाये । आज जो लोग शान्तिपूर्ण ढंग से अपनी बात कहना चाहते हैं उनको इस दफा द्वारा प्रतिबन्ध लगाकर रोका जाता है । अगर कोई ऐसी बात हो कि जिससे समाज को खतरा पैदा होता हो तो उसको रोकने के लिए कानून में बहुत सी दफायें मौजूद हैं । उनका प्रयोग किया जा सकता है । लेकिन इस धारा का प्रयोग तो शान्तिपूर्ण लोगों के खिलाफ होता है । यह देखकर दुःख होता है । मैं ज्यादा न कह कर अपना भाषण समाप्त करूंगा । पर मैं सदन से यह कहना चाहता हूं कि वह इस पर गम्भीरता से और संजीदगी के साथ विचार करे और मैं आशा करता हूं कि सदन के माननीय सदस्य अगर इसको निष्पक्ष भाव से

[श्री जगदीश अवस्थी]

देखें, और मैं तो कहूंगा कि मंत्री जी भी अगर निस्पक्षता से देखें, तो वे यह चाहेंगे कि इस धारा को इस देश के जाबता फौजदारी से हटा दिया जाये ।

इन शब्दों के साथ में इस विधेयक को पेश करता हूं और उम्मीद करता हूं कि सारा सदन एक स्वर से इसका समर्थन करेगा और सदा सदा के लिए यह दफा १४४ निकाल दी जायेगी और तब हम कह सकेंगे कि अब हमारा वास्तव में प्रजातंत्र है, अब हम समाजवादी समाज की दिशा में बढ़ रहे हैं और देश में कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना चाहते हैं । वरन हम ऐसा नहीं समझ सकते । मैं आशा करता हूं सरकार इस बिल को स्वीकार करेगी और सारा सदन मेरे इस विधेयक का समर्थन करेगा ।

Mr. Chairman: Motion moved:

"That the Bill further to amend the Code of Criminal Procedure, 1898, be taken into consideration."

श्री स० म० बनर्जी (कानपुर): सभापति महोदय, अभी जो बिल सदन के सम्मुख उपस्थित है मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हूं । मेरे दोस्त जगदीश अवस्थी जी ने काफी तफसील के साथ दफा १४४ का किस तरीके से दुरुपयोग हुआ है उसका एक नक्शा सदन के सदस्यों के सामने रखा । मैं भी इस धारा के अन्तर्गत काफी परेशान हुआ हूं पर मैं अपने मित्र की बातों को फिर से दुहराना नहीं चाहता । मैं अपने माननीय मंत्री जी का ध्यान स्टेटमेंट आव आबजेक्ट्स एंड रीजन्स की तरफ आकर्षित कराना चाहता हूं जिसे मेरे दोस्त जगदीश अवस्थी जी ने दिया है । उसमें लिखा है :

"This provision essentially arms the executive with powers to be used only in an emergency, such as, in epidemics etc., but the Government resorts to it in normal times for political purposes, which has resulted in its gross abuse."

मैं आज राजनीतिक तरीके से रूलिंग पार्टी को अटैक करने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूं । मैं इस दफा के बारे में आपसे एक चीज कहना चाहता हूं । देश को आजादी मिलने के बाद, १५ अगस्त सन् १९४७ के बाद जब कि सारे देश के लोगों में उस दिन खुशी की लहर दौड़ गयी थी तो उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर के नागरियों में भी वैसी ही खुशी की लहर दौड़ गयी थी और उन्होंने भी खुशी में घी के चिराग जलाये थे । लेकिन सन् १९४७ से लेकर सन् १९५६ दस ग्यारह साल में शायद एक साल का समय ऐसा बचा होगा कि कानपुर में यह दफा १४४ लागू न रही हो । इसका कारण क्या था ? उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई आन्दोलन नहीं हुआ जैसा कि बम्बई में हुआ । तब खास बात क्या थी ? मैं आपको सिर्फ इतना ही बताना चाहता हूं कि इस से कोई राजनीतिक पार्टी थोड़ी भी गिरती नहीं । इससे कोई हमारा स्तर नीचा नहीं हुआ बल्कि हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार इन कारणों से लोगों की नजरों में गिर गयी और नतीजा यह हुआ कि उत्तर प्रदेश की असेम्बली में जहां पहले ४३ या ४४ विरोधी सदस्य चुन कर आये थे वहां इस बार १४४ धारा ने वहां की असेम्बली में विरोधी सदस्यों की संख्या को ४३ से बढ़ा कर १४४ कर दिया । दफ़ा १४४ के नाजायज इस्तेमाल के कारण किसान रुष्ट हुए और मजदूरों की भी आफ़त आई । जब ८५ दिन की हड़ताल चल रही थी, तब पूरा कानपुर शहर एक कोतवाली बन चुका था और छोटी छोटी कोतवालियों में समरी ट्रायल होती थी । माननीय मंत्री जी को यह सुन कर आश्चर्य होगा कि आज के

प्रजातांत्रिक युग में, जब कि हम प्रजातांत्रिक उसूलों को मानते हैं और समाजवाद की तरफ़ हम कदम बढ़ा रहे हैं, वहां के जिलाधीश ने, जो कि खुशकिस्मती से इस वक्त कानपुर में नहीं हैं, क्योंकि उनको तरक्की दे कर लखनऊ में भेज दिया गया है, दफ़ा १४४ के अन्तर्गत, सैक्शन ७, क्रिमिनल ला अमेंडमेंट एक्ट, के मातहत ७३५ आदमियों को सज़ा दी। मज़दूरों के खिलाफ़ यह चार्ज था कि वे चार तांचों के खिलाफ़ हड़ताल कर रहे थे। वह हड़ताल जायज थी, नाजायज, इस बहस में इस समय मैं नहीं पड़ना चाहता हूं। आज दफ़ा १४४ के मातहत आप लोगों को गिरफ्तार करते हैं और दफ़ा १८८ के अन्तर्गत आप उन को सजा देते हैं, तीन महीने, दो महीने या छः महीने की सज़ा। जो मुलजिम होते हैं, उन को वकील करने का मौका नहीं मिल सकता। आप को यह सुन कर ताज्जुब होगा कि कानपुर शहर में . . .

Shri Achar (Mangalore): May I point out, Sir, that there is no quorum in the House?

Shri S. M. Banerjee: You will also face it from there.

एक माननीय सदस्य : चेयरमैन की रुलिंग होनी चाहिए इस पर।

Mr. Chairman: The bell is being rung. Now, there is quorum. The hon. Member Shri S. M. Banerjee may continue.

श्री स० म० बनर्जी : सभापति महोदय, मैं यह कह रहा था कि दफ़ा १४४ का किस किस तरह नाजायज तरीके से इस्तेमाल किया गया। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह चाहूंगा कि वह मुझे इस का जवाब दें। आखिर एप्रिहेंशन आफ़ ब्रीच आफ़ पीस क्या है? मैं आप को इस की मिसाल देता हूं। कानपुर शहर में एक मस्जिद है मछली मस्जिद। वह एक ऐसी जगह में है, जहां पर हिन्दू और मुसलमान दोनों भाई रहते हैं। जिलाधीश साहब की समझ में ऐसी बात आई कि वहां पर कोई मज़हबी ढंग का इस्तेमाल फेल रहा है। नतीजा यह हुआ कि दफ़ा १४४ सारे शहर में लगा दी गई और मज़दूरों के जलसे और जलूस रद्द कर दिए गए, विद्यार्थियों के जलसे और जलूस रोक दिए गए, तमाम शहर में कोई चल नहीं सकता था, लेकिन रिलिजस प्रोसेशन्ज़ वर एलाउड। जिस की वजह से इश्तेआल था, रिलिजस प्रोसेशन को एलाउ किया किया गया, लेकिन सामाजिक जीवन को बिल्कुल ठप कर दिया गया सामाजिक स्तर को ऊंचा करने के लिए या अपनी मांगों को मनवाने के लिए मज़दूरों और दूसरे लोगों के जलूस बैन कर दिए गए। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह के इनडिस्क्रिमिनेट एप्लिकेशन आफ़ सैक्शन १४४ से देश का कल्याण नहीं होगा। आज मुझे खुशी है कि हमारे जिलाधीश साहब बदल गए हैं। वहां पर अब सिचुएशन ईज़ी है, लेकिन आज भी दफ़ा १४४ लगी हुई है। हम लोग चाहते थे कि जलसे जलुस कर के, कम से कम जलुस निकाल कर अपनी मांगों का प्रचार करें और पब्लिक ओपीनियन को माबिलाइज करें, लेकिन हम को कभी इस का मौका नहीं मिला। आप हाई कोर्ट के जजमेंट को देखिए। आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि दफ़ा १४४ लगाना किसी भी तरह मुनासिब नहीं है।

यदि किसी आन्दोलन को कुचलने के लिए दफ़ा १४४ का पोलीटिकल इस्तेमाल किया जाता है, तो वह ग़लत है। अगर आपोज़ीशन के आदमीयों की आवाज़ दबाने के लिए दफ़ा १४४ का प्रयोग होता है, तो मैं आप को विश्वास दिलाता हूं कि किसी देश में ऐसा नहीं हुआ है। कहा जाता है कि कम्यूनिस्ट देशद्रोही हैं, रूसी एजेन्ट हैं, वगैरह। देश की खुशकिस्मती से या बदकिस्मती से और हमारे ख्याल में तो यह जनता की खुशकिस्मती है एक सूबे में उन की सरकार बन गई है। हिन्दुस्तान भर में पुलिस के अख्तियारात—

[श्री स० म० बनर्जी]

कांस्टेबल से ले कर डिप्टी सुपरिन्टेंडेंट आफ़ पुलिस तक सब के अख्तियारात-बढ़ा दिए गए। आप देखिए कि केरल में उन लोगों ने, जिन को हिंसावादी कहा जाता है, पुलिस के अधिकारों को बढ़ाया या घटाया। पहले मिल-मालिकों और मजदूरों के झगड़े के बीच में पुलिस दीवार बन कर खड़ी हो जाती थी, जिस के कारण झगड़ों का सुलझाना मुश्किल हो जाता था और लोगों को तक्लीफ़ होती थी। आप देखिए कि उन्होंने केरल में पुलिस के अधिकार घटाए या नहीं। अगर आप भी उन अधिकारों को नहीं घटाते हैं, तो मैं आप को विश्वास दिलाता हूं कि हिन्दुस्तान के संविधान के मुताबिक जो भी सहूलियतें और हकूक हम को हासिल हैं, वे सब सीमित रह जायेंगे और सारे हिन्दुस्तान के संविधान का निचोड़ एक डिप्टी सुपरिन्टेंडेंट आफ़ पुलिस की जेब में होगा। अगर आप यह करना चाहते हैं, तो भले ही कीजिए। अगर आप समझते हैं उसी में प्रजातांत्रिक उसूलों कीजयज यकार होगी, तो भले ही कीजिए। मैं तो नहीं समझता कि इस तरीके से होगी।

मैं आप के सामने अदब से कहना चाहता हूं कि यह नहीं कि हम क्रोधित हैं पुलिस की लाठियों ने हमें क्रोधित बना दिया है, ऐसा सवाल नहीं है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आप उत्तर प्रदेश, बंगाल या बम्बई किसी भी प्रान्त में जाइये और देखिए कि लोग दफ़ा १४४ को किस तरीके से देखते हैं। आप के पास बहुत धारायें हैं और डेफ़िनीशन क्या है? किस को आप ब्रीच आफ़ पीस कहते हैं? अगर किसी दरोग़े को अचानक यह ख्याल आ गया कि ब्रीच आफ़ पीस है और उस ने मैजिस्ट्रेट साहब को वह बात कही और मैजिस्ट्रेट साहब ने फ़ौरन दफ़ा १४४ लगा दी। आपदे लिए कि वह धरा क्या है—

"Now order under this section shall remain in force for more than two months from the making thereof; unless, in case of danger to human life, health or safety, or likelihood of a riot, or an affray, the State Government, by notification in the Official Gazette, otherwise directs."

जम्हूरियत के जमाने में एक मामुली मजदूर अपनी मांगों के लिए मुज़ाहिरा कर सकता है। उस के इस अधिकार को आप मानते हैं। आप कहते हैं कि हमारे यहां फ्रीडम आफ़ एक्सप्रेशन और फ्रीडम आफ़ दि प्रेस है, इस देश में सब को बोलने, इकट्ठा होने और चलने फिरने की आज़ादी है। कई दूसरे देशों को आप टोटेलेटेरियन कहते हैं और कहते हैं कि वहां पर रैजिमेन्टेशन है, जब कि हमारे यहां पूरी आज़ादी है। और वह आज़ादी क्या है? मरने की आज़ादी है फुट-पाथ पर मरने की आज़ादी है, अगर कोई फुट-पाथ पर मर जायेगा, तो कोई पूछेगा नहीं कि क्यों मरा है। खैर, जो भी हो, मेरी गुज़ारिश है कि मेहरबानी कर के आप इस आज़ादी पर कुठाराघात न कीजिए। अव्वल तो इस दफ़ा को हटा लेना चाहिए और अगर यह मुमकिन नहीं है, तो कम से कम इस दफ़ा के इनडिस्क्रिमिनेट एप्लिकेशन को खत्म करना चाहिए। आज हिन्दुस्तान यह दावा करता है कि हम हर एक मामले को शान्तिमय तरीके से हल करना चाहते हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप और हम अलग अलग नहीं हैं। आज देश की समस्यायें हमारे सामने हैं। अगर हम समझते हैं कि द्वितीय पंच-वर्षीय योजना की कामयाबी में गरीबों की कामयाबी का राज छिपा हुआ है, तो फिर यह जरूरी है कि मजदूरों और किसानों को दबा कर, उन के हितों की उपेक्षा कर, उन के काम में रुकावट डाल कर द्वितीय पंच-वर्षीय योजना पर कुठाराघात न किया जाये। जो एन्टी-सोशल एलिमेंट्स हैं, आप उन पर यह दफ़ा १४४ लगाइये। हम नैशनल उनिटी और नैशनल प्लेटफ़ार्म की बात करते हैं। यह निहायत जरूरी है कि द्वितीय पंचवर्षीय

योजना को कामयाब बनाने के लिए हम सब प्रश्नों को राष्ट्रीय दृष्टिकोण से देखें। अगर आप उसकी कामयाबी चाहते हैं तो दफ़ा १४४ को आपको हटाना होगा। इसको जनता के ऊपर लगा कर उसकी आप कमर तोड़ते हैं। यह बहुत ही कमजोर दफ़ा है। कहीं पर अगर चार के बजाय पांच आदमी एकत्र हो जाते हैं तो यह दफा टूट जाती है। इस दफ़ा को आप कहां तक लगायेंगे ? यह तो टूटी हुई, गली हुई, सड़ी हुई दफा है। जितने भी कानून अंग्रेजों ने बनाये थे और जो हमें जंचते नहीं हैं, उन को भी हमें अंग्रेजों के साथ यहां से भेज देना चाहिए था और अगर उनको भेजा नहीं है तो अब भेज देना चाहिए।

मैं बड़े अदब के साथ अर्ज करता हूं कि आज इस धारा के बारे में कम से कम आप विचार करें। इस मामले पर आप इस दृष्टिकोण से न सोचें कि यह चीज विरोधी दल की तरफ से पेश की गई है। आपको चाहिये कि आप इस पर संजीदगी के साथ विचार करें। इसमें यदि आप किसी प्रकार का और संशोधन पेश करना चाहते हैं तो करें लेकिन यह न भूलें कि देश इसको ठीक नहीं समझता है और चाहता है कि इसको इसमें से निकाल दिया जाए। देश को इस दफ़ा का काफी एक्सपीरियेंस हो चुका है। आज लोग यह कहते हैं कि सन् १९४७ से पहले जो आज रूलिंग पार्टी है, जो कांग्रेस है, वह जनता की सेवक थी, सन् १९४७ के बाद वह जनता की शासक बनी आज सन् १९५७ में जनता की शोषक है। इस धारा के कारण आपके जो अच्छे काम हैं उन पर भी पर्दा पड़ जाता है। यह एक काला कानून है। इसके अन्तर्गत लोगों को दबाने की कोशिश की जाती है लेकिन वे दबते नहीं हैं। इस पर आप राजनीतिक दृष्टिकोण से विचार न करें, बल्कि सामाजिक दृष्टिकोण से विचार करें, देश की एकता की दृष्टि से विचार करें। आप मजदूरों और किसानों की आज जो हालत है, उसको अपने सामने रखें। मैं चाहता हूं कि इस दफ़ा १४४ का कतई उपयोग न किया जाए और इसको फौरन वापिस ले लिया जाए।

Shri V. P. Nayar (Quilon): I welcome this Bill. You will remember that in 1954 we had a very long discussion on the amendments to the Criminal Procedure Code, which were brought forward by the then Home Minister, Dr. Katju. I am glad particularly because on that occasion when we took part in the general discussion, we made the point that if any provision of the Criminal Procedure Code required revision, if not repeal., that was the provision contained in section 144. That Bill was a very long one, and I remember that Shri Datar who followed immediately after me did not choose to answer the point at all. Now at least I am glad that because section 144 alone is before us, Shri Datar will certainly give us a reply.

I do not want to go into the merits or the history of this because we have had a discussion on that. All the same, I would remind the House that although this particular section was in our Criminal Procedure Code from the year 1898 when the Code itself was promulgated, the first instance when recourse was taken to it especially in the banning of meetings was as late as in 1921. I remember that in 1923 when there was a debate in this House, some hon. Members—certainly he was not from the Congress Benches—said that it was only after the ingenious use of this particular provision in Burma that we started using it for all unholy purposes. We remember that during the year 1921 when the Congress movement itself had assumed such proportions, there was the most indiscriminate use of this obnoxious provision against all people. I am not going into that because it has already been discussed.

Very often, I have heard it said that for the maintenance of law and order, this provision is a very salutary provision. I think the Minister

[Shri V. P. Nayar]

will also be of this view. And the argument is very often advanced that prevention of crime is much better than punishment. This is one of the preventive provisions, no doubt; but how has it been used? I do not want to go into this, because all the High Courts in India have expressed themselves in several cases as to how these provisions have also been misused. Any text-book on the Criminal Procedure Code will give a number of instances, quoting High Court decisions, on the different aspects of the misuse of this particular section. But the fact remains that even today, this obnoxious provision is being resorted to not as much for the purpose of preventing a crime as for the oppression of political parties, and for the suppression of the labour movement. You will see that it is used against strikers. We had it in Burnpur; we had it in Kanpur. We have it all over the country—we had it recently in Bangalore also—that whenever there is a strike, this provision is used and will be used against the striking workers.

Apart from that, whenever there is a movement, we hear of section 144 being used. It is used before elections and after elections. For two months, the entire Punjab had this section 144 clamped on it, for the reason that there was a fanatic Hindi agitation. Is it after all necessary that we should have such a provision in our Criminal Procedure Code to maintain law and order? I want to pose this question, because I have some figures.

Very often, it has been stated by leaders of the Party in power that in the State of Kerala, for example, after the present Government took office, the law and order situation has very much deteriorated. It is not confined to the leaders of the Congress Party. My hon. friend, Shri Asoka Mehta, who had gone there for three or four days' visit, and probably went from one place to another in car, after he left the State, came out with a statement that wherever he went, he found complete chaos and complete deterioration of the law and order situation.

Section 144 is there in our Criminal Procedure Code. Is it necessary to prevent the deterioration of the law and other situation by resorting to this nefarious provision of law? That is the question I want to pose before the House, because I have a source which is unimpeachable, at least to my hon. friend, Shri Datar; I have got some figures, published in the *Monthly Abstract of Statistics* which acknowledges its source in the Intelligence Bureau, Ministry of Home Affairs, which is a very very intelligent organisation, according to Shri Datar—which is infallible, which will not give out at all anything which is incorrect (*Interruption*).

There is a statement of cognisable crimes in India. What are the cognisable crimes listed? Dacoity, robbery, house-breaking, theft, rioting and other crimes. It is very significant. It cannot at all be said that these are the figures furnished by each State Government because the source is the Intelligence Bureau, which has its own apparatus and its own machinery in each State, irrespective of the police force under that Government. That is accepted. It is said that the figures relate to the crimes recorded under each category and not only to the cases charge-sheeted or convicted. That is the difference. It is not merely as if these are the figures furnished by the State Governments as having been either charge-sheeted or have ended in conviction. This is the information of the Intelligence Bureau about the cognisable crimes collected perhaps by an independent machinery through independent sources.

What do they indicate? The charge is that in Karala State, there is a deterioration of law and order. Actually, I find that we stand at the backmost position in regard to all these

crimes. For example, I will give two or three instances. It is open to the hon. Minister to read this. It is very informative and it would also do well for his partymen to read it.

I do not say that murder can be prevented by secttion 144, but certainly one of the objects of section 144 is the prevention of rioting. How do these figures compare? Kerala, which has a population of 13.5 million, had only 70 murders during 1957, while in the best-administered State, Bombay, with a population which will be slightly less than 4 times as large, last year there were 489 murders. If we calculate on the basis of population, normally Bombay should have the incidence of murder as much as 4 times that of Kerala, where the law and order situation is said to be deteriorating, that is 280 murders. Instead, you get 489.

Then there is the neighbouring State, Madras, whose population is about double that of Kerala. There, against Kerala's 70, you have 218 in one year.

This applies in the case of dacoity, in the case of robbery, in the case of house-breaking, theft, rioting and everything. How is it then that Kerala, after the present government has come into power, has not had an occasion to use it at least once—this nefarious provision? We are not using section 144. That does not mean that there are no troubles.

17 hrs.

I will relate one instance which happened at the same time when we had an incident in Delhi. As you know, there is some opposition from vested interests—from whomever it may be—on this Education Bill. I am not going into the merits of the Education Bill. But, there has been an organised attempt by certain sections, who have vested interests in the system of education there, to demonstrate. You also know that in the capital of Kerala, ever since the Praja Socialist Party was in government, the main roads were all having section 144 nobody could demonstrate in front of the Secretariat building. It was there for over 1½ years. It was there at the time of Shri Thanu Pillai's Ministry; it was there at the time of President's rule. And, only when the present government came to power, the order was lifted. But, what do we find?

When the Education Bill was in the Legislature, a very large crowd, several thousands of people belonging to an organisation styled the 'Christophers' an organisation consisting mainly of hired and paid gondas, living mostly on the money of the vested interests there and subsidised to a large extent by the priesthood—we all know what it is—demonstrated. We did not use section 144. We did not in fact, have any trouble in meeting the situation. At a place where there was Section 144 for a period of 2 years, it was not necessary for the Government of Kerala to use it against a very provocative demonstration, a demonstration in which all people were armed to our knowledge, from which, apart from those residing in the city, entire India thought that there will be a clash. By properly controlling the crowd it was possible.

Then, again, look at the other troubles. I ro not, for a moment, say that there is no trouble at all because people belonging to my hon. friend's party there also indulge in all sorts of trouble. They want to create every trouble to overthrow the government there. But, in spite of that, there was no occasion to use this extraordinary provision, this reactionary provision, in section 144.

Kerala, I submit, has shown the example that this provision is not at all necessary in the Criminal Procedure Code. No other country to my knowledge—you will be knowing it better because I remember the marathon speech which you made—has it; and you will, certainly, agree that there is no provision in any other Criminal Procedure Code corresponding to our section 144.

[Shri V. P. Nayar]

Why is it that we have section 144 still? The time has come when this provision should certainly be taken away because it is not merely obnoxious but it is being used in such a way that wherever is in power gets an advantage in order to suppress all types of movements which may aim at bringing another party into power.

It also applies in the case of very peaceful demonstrations. As a matter of fact, I am yet to find out a case where section 144 has been properly used. I was submitting that at a time when the Kerala Government demonstrated that section 144 is no longer necessary—that they had not used it in an area which had section 144 continuously for a period of two years—the Heavens are not going to fall.

What we saw in Delhi was an entirely different episode. In Delhi we had a demonstration of bhangis. What did the Government do? They not merely clamped section 144 but they also shot down people like dogs in the streets. This was the way in which only 300 or 400 demonstrators were managed here, while a few thousands who demonstrated in the most provocative way in the capital of Kerala were handled without the use either of section 144 or of any violence.

Therefore, when we want to do away with section 144, no technical objection can stand. No amount of argument can justify this obnoxious provision.

If the Government are keen they could certainly have done away with this provision. It is not merely an insult but an injury to our society.

I would end by citing only one point. I do not have the time to read from the dissenting minute. When the Criminal Procedure Code (Amendment) Bill was passed it was our Party's representatives, Shri Sundarayya and Shri Sadhan Gupta who said in their dissenting minute, that if a complete repeal was not possible, at least it should be modified to such an extent that the mischief would be taken away. I have it here but I do not read it because the hon. Minister also will have it. In that connection, I want to remind the hon. Minister. When he took part in the general discussion on the Budget, he was kind enough to give the House a quotation from Manu—a very suggestive one in this context. Intervening in the debate, he said that Manu had said:

अदंड्यान् दंडयन्राजा दंडयाश्चैवाप्यदंडयान्
अयशोमहदाप्नोति नरकं चाधिगच्छति

I am not as much well versed in Sanskrit as he is, but to my mind its meaning appears to be this. Who punish the non-guilty or those who do not punish the guilty do not merely deserve obloquy but must necessarily go to hell. I hope that the hon. Minister who knows the way to hell very well will avoid it.

Shri Naushir Bharucha (East Khandesh): Sir, there is no quorum in the House and there is no hope of getting one.

Mr. Chairman: The bell is being rung. Now there is quorum.

Shri B. Dass Gupta (Purulia): Mr. Chairman, Sir, section 144 is rather a historical section. It is our experience in the old days that there was unanimous resentment by the Congress against this section 144. During the British regime we have experienced that this section was rather the main weapon in the hands of the Government to suppress the political activities and the political aspirations of India. After independence we at least expected that the Congress which came into power would at least bury

this section 144. But, unfortunately, we found it quite otherwise.

Sir, I need not cite quotations from speeches or other references regarding this section 144. If I remember quite well, in our old days in the Central Assembly, all our leaders time and again protested against this section 144. After attaining independence we find that that very party, practically speaking, is using or ultilising this section in the same way as the British Government did, as our then masters did. The application of this section 144 in all the areas of India is going on unabated, and the application has become a mis-application in every way.

In political matters I think we are the worst sufferers as far as this sectin 144 is concerned. I can speak of my district which was in Bihar. I think Shri Datar knows it very well how this section 144 was applied in that district to suppress the language movement in that district. I remember that many meetings of Bengalis were banned by applying this section 144. It was applied outright without any consideration and there are scores of such instances. Not only that. While we have found goondas and hooligans hired by Government......

Mr. Chairman: Order, order. I believe the hon. Member would like to take some more time.

Shri B. Das Gupta: Yes.

Mr. Chairman: He may continue on the next day.

17·15 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday, the 24th March, 1958.